पत्र सं0– वि०प्रा०(IV) यो॰–03 / 2019–

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

पटना, दिनांक

विषय– A.I.C.T.E. के मापदण्ड के अनुसार विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा में अतिरिक्त शैक्षणिक भवन के निर्माण कार्यों के लिए रू॰ 1114.07 लाख (ग्यारह करोड़ चौदह लाख सात हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–153, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा उपलब्ध कराये गए तकनीकी रूप से अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन तथा दिनांक 10.01.2019 को सम्पन्न बैठक में विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में A.I.C.T.E. के मापदण्ड के अनुसार विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा में अतिरिक्त शैक्षणिक भवन के निर्माण कार्यों के लिए रू॰ 1114.07 लाख (ग्यारह करोड़ चौदह लाख सात हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 के राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष– 4059 –लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –80–सामान्य, लघुशीर्ष–051–निर्माण, मांग संख्या–3, उपशीर्ष–0117– इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)" के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 03–4059800510117 है।

3. स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा भवन प्रमंडल, सहरसा को प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत / विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा होगें।

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, सहरसा से की जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य सम्पादित कराने की संयुक्त जिम्मेवारी संस्थान के प्राचार्य तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह॰/ –

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा०(IV) यो०–03 / 2019– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा०(IV) यो०–03 / 2019– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा०(IV) यो०–03 / 2019– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव / अभियंता मुख्य–सह–अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा०(IV) यो०–03 / 2019– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा०(IV) यो०–03 / 2019– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा०(IV) यो०–03 / 2019– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा०(IV) यो०–03 / 2019– 356 / पटना, दिनांक– 29-1-019

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / उप निदेशक (यो) / बजट सहायक / आई०टी० मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/19
सरकार के उप सचिव
28/01/19